न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-22/2021

धनेश्वर यादव एवं अन्य

बनाम्

अमरेन्द्र यादव एवं अन्य

—: आदेश :—

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं स्मरण में रखा। अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी धनेश्वर यादव व नरेन्द्र यादव व बिनोद यादव व राजकुमार यादव सभी के पिता– स्व0 दिनदयाल यादव उर्फ बांगुर महतो सा0– सिंजो, थाना– मनिका, जिला– लातेहार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या– 05/2016–17 में दिनांक 24.03.2021 को पारित अदेश के विरूद्ध दाखिल आवेदन के आधार पर प्रारम्भ की गयी। अपीलार्थीगण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में प्रतिपक्षी थें तथा प्रतिवादीगण के पिता– स्व0 राजेश्वर प्रसाद यादव अपीलकर्ता थें।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि रजिस्टर्ड बक्सीसनामा संख्या– 309 दिनांक 11.03.1999 के आधार पर अचंल अधिकारी, मनिका द्वारा विविध वाद संख्या– 01/2016–17 के तहत् दिनांक 08.08.2016 को अपीलार्थीगण के नाम से ऑनलाईन जमाबंदी कायम किया गया, जिसके बाद से अपीलार्थीगण के नाम से लगान रसीद निर्गत होना सुरू हो गया। अंचल अधिकारी, मनिका के इसी आदेश के विरूद्ध विपक्षीगण के पिता– स्व0 राजेश्वर प्रसाद यादव के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार दाखिल खारिज अपील वाद संख्या– 05/2016–17 दायर किया गया। दोनों पक्षकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में उपस्थित हुए। दाखिल

खारिज अपील वाद संख्या– 05/2016–17 दायर किया गया। दोनों पक्षकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में उपस्थित हुए। दाखिल खारिज अपील वाद संख्या– 05/2016–17 में दिनांक 17.11.2016 से 24.03.2021 के बीच कोई आदेश फलक नहीं है। साथ हीं वाद के अपीलकर्ता स्व0 राजेश्वर प्रसाद यादव की मृत्यु माह सितम्बर 2019 में हो गयी। अपीलकर्ता स्व0 राजेश्वर प्रसाद यादव के किसी वारीशांन को बिना पक्षकार बनाये हीं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–05/2016–17 में दिनांक 24.03.2021 को आदेश पारित कर अंचल अधिकारी, मनिका के आदेश को निरस्त घोषित (Set-aside) कर दिया गया। दिनांक 16.11.2016 से 24.03.2021 के बीच अभिलेख के आदेश फलक में न तो कोई तिथि को कार्यवाही अंकित किया गया और न हीं इस वाद के अपीलार्थीगण जो निम्न न्यायालय में विपक्षी थें उनके विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 16.11.2016 से 24.03.2021 के बीच लम्बे अन्तराल के बावजूद भी बगैर पक्षकारों को सूचना दिये आदेश पारित करना न्याय के दृष्टि में उचित नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा दिनांक 24.03.2021 को पारित किया गया आदेश संदेहास्पद एवं नियम संगत नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी दावा है कि मौजा मनिका के खाता– 14 प्लॉट– 103 रकबा– 0.20 ए0 एवं प्लॉट–92 रकबा– 0.20 ए0 कुल रकबा– 0.40 एकड़ भूमि को बजरिये निबंधित बक्सीसनामा संख्या– 309 दिनांक 11.03.1999 से अपीलार्थीगण को इनकी दादी स्व0 कलावती देवी उर्फ कलबसिया देवी से प्राप्त है, जिसपर अपीलर्थीगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है। इसी वसीयतनामा एवं दखल कब्जा के आधार पर अंचल अधिकारी, मनिका द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में जमीन का जमाबंदी कायम करते हुए गत सर्वे खतियान के अनुसार लगान रसीद निर्गत किया गया। उक्त दाखिल खारिज के विरूद्ध विपक्षीगण अथवा उनके पिता– स्व0 राजेश्वर प्रसाद यादव या अन्य कोई व्यक्ति द्वारा किसी न्यायालय में

अपील दाखिल नहीं किया गया। उसी आधार पर हाल सर्वे खाता संख्या– 135 प्लॉट संख्या– 210 रकबा– 0.20 ए0 एवं प्लॉट संख्या– 207 रकबा– 0.20 ए0 कुल रकबा– 0.40 ए0 का जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी दावा है कि मुकुंद महतो द्वारा अपीलार्थीगण के पिता को मौजा मनिका के रकबा– 4.18 ए0 भूमि को दिनांक 14.03.1969 को बजरिये रजिस्ट्री दान यह कहते हुए लिख दिया गया कि कलावती देवी उर्फ कलबसिया मसो0 प्रथम पति रामबृक्ष महतो के परित्यागता (छुटी हुई) पत्नी है, जिसके साथ मैं सगाई कर लिया हूँ तथा अब वह मेरा वैध पत्नी है। उसके साथ आये पहले पति रामबृक्ष महतो से उत्पन्न संतान दिनदयालय महतो उर्फ बांगुर महतो जो मेरे साथ में रहकर दोनों का सेवा टहल करते आ रहें है। उन्हे कट्ठबेटा के रूप में स्वीकार करते हुए रजिस्ट्री दानपत्र लिखा गया है। उक्त दान पत्र को सरकारी मान्यता प्राप्त है। तथा हाल सर्वे में खाता संख्या– 115 बांगुर महतो के नाम से बना है। उक्त रजिस्ट्री दानपत्र को विपक्षीगण भी वैध स्वीकार करते है। मुकुन्द महतो द्वारा दिनांक 14.03.1969 को लिखे गये रजिस्ट्री दानपत्र के मजमुन में स्पष्ट रूप से कलावती देवी उर्फ कलबसिया को पत्नी तथा दिनदयाल महतो उर्फ बांगुर महतो को कट्ठबेटा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बावजूद भी विपक्षीगण का यह कथन की कलावती देवी उर्फ कलबसिया देवी मुकुन्द महतो की जायज पत्नी नहीं थी तथा उसके द्वारा की गयी बक्सीसनामा संख्या–309/1999 को वैध मानने से इंकार करते है, जबकि कलावती देवी के वोटर लिस्ट में पति के नाम से मुकुन्द महतो स्पष्ट रूप से अंकित है। विपक्षीगण द्वारा दिनांक 28.01.2022 को दाखिल प्रतिउत्तर में कहा गया है कि विवादित भूमि वाद संख्या– 174/2000 U/S 144 C.R.P.C. के तहत् केस में अपीलार्थीगण के सुलह के आधार पर विपक्षीगण को प्राप्त है, जो सरासर गलत है। सी0आर0पी0सी0 की धारा– 144 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रारम्भ किया जाता है, तथा 60 दिनों की अवधि

समाप्त हो जाने के पश्चात् उसका Force समाप्त हो जाता है। सी0आर0पी0सी0 की धारा– 144 की कार्रवाई बिना कोई आदेश पारित किये गये बगैर समाप्त कर दिया गया था। निम्न न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि गुठल महतो एवं नुनू महतो के बीच सुविधानुसार भूमि का आपसी बटवारा हो चूका था। मुकुन्द महतो अपने पिछे अपनी पत्नी कलावती देवी उर्फ कलबसिया मसो0 एवं कद्दुबेटा दिनदयाल महतो उर्फ बांगुर महतो को छोड़कर मृत हुए है। नया खतियान के आधार पर दखल कब्जा एवं नामन्तरण Correction Slip के आधार पर अपीलार्थीगण के नाम से जमाबंदी कायम किया गया है। इस संबंध में झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायामुर्ती एम0वाई0 ईकबाल द्वारा पारित आदेश एवं विविध वाद संख्या– 327/2021 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया, जिसे निम्न न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। वर्ष 2016 में राजेश्वर प्रसाद यादव द्वारा अपील फाईल किया गया तथा मृत्यु सितम्बर 2019 में हो गया। कोई पक्षकार नहीं बना तथा वर्ष 2020 में कोविड का प्रकोप सुरू हुआ अभिलेख 17.11.2016 के बाद से एवं कोविड–19 महामारी के कारण सुनवाई बंद हो गयी थी। बाद में कोई तिथि नहीं पड़ा और न हीं निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया गया। इतने लम्बे अंतराल के बाद दिनांक 24.03.2021 को रहस्यमय ढंग से आदेश पारित कर दिया गया, जो कानून के दृष्टि से पूर्णतः अवैध एवं आपत्तिजनक है। फलतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के आदेश को निरस्त घोषित (Set-aside) किया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.01.2022 को Rejoinder-cum-written Submission प्रस्तुत किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि खतियान रैयत गोठुल महतो एवं नुनू महतो भूमि पर सम्मिलात दखल कब्जा में चले आ रहे थें। आपसी सुविधानुसार अलग–अलग खेती करते थें। आज भी उनके वारिशान सम्मिलात रूप से दखल कब्जा में है तथा सुविधानुसार खेती बारी कर रहे है। खाता संख्या– 14 का जमाबंदी सम्मिलात रूप से बासुदेव महतो एवं मुकुन्द महतो के नाम से चल

रहा है। विपक्षीगण के परदादा गुठुल महतो खाता संख्या– 14 प्लॉट संख्या– 103 रकबा 0.20 ए0 एवं प्लॉट संख्या– 92 रकबा– 0.20 ए0 के अलावे अन्य जमीन का जोत कोड़ एवं दखल कब्जा में चले आ रहे थें। उनके मृत्यु के बाद उनके जायज वारिशान जोत– कोड़ एवं दखल कब्जा में आये वर्ष 2000 ई0 में प्लॉट संख्या– 103 में विपक्षी मकान बनाना शुरू किये, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी धनेश्वर यादव द्वारा सी0आर0पी0सी0 की धारा– 144 के अन्तर्गत विविध वाद संख्या– 174/2000 राजेश्वर यादव के विरूद्ध दायर किया गया, जिसमें दिनांक 05.07.2000 को धनेश्वर यादव द्वारा सुलहनामा का आवेदन देकर कहा गया कि वह अब आगे केस नहीं लड़ना चाहते है। उक्त आवेदन के पश्चात् अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 05.07.2000 को वाद की कार्यवाही समाप्त घोषित कर दिया गया। हाल सर्वे में खाता संख्या–135 प्लॉट संख्या– 210 रकबा– 0.20 ए0 एवं प्लॉट संख्या– 207 रकबा– 0.20 ए0 कुल रकबा– 0.40 ए0 का खतियान अंतिम रूप से बासुदेव महतो (विपक्षी के दादा) एवं मुकुन्द महतो के नाम से प्रकाशित हुआ है। नया खतियान प्रकाशित होने के बाद अपीलार्थीगण द्वारा अंचल अधिकारी, मनिका को आवेदन दिया गया कि गत सर्वे खाता 14 प्लॉट संख्या– 103 एवं 92 को खरिद किये हैं तथा हमलोग के नाम से जमाबंदी चल रहा है। उक्त आधार पर लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थीगण के आवेदन पर विविध वाद संख्या– 01/2016–17 प्रारम्भ किया गया जिसकी जानकारी होने पर प्रतिपक्षी के पिता– स्व0 राजेश्वर यादव उपस्थित होकर अपना विस्तृत आपत्ति पत्र समर्पित किये एवं बताया कि कथित जमीन बिक्री की कोई जानकारी नहीं है, और न हीं अपीलार्थी का जमीन पर दखल कब्जा है। अपीलार्थीगण का यह कहना है कि कलावती देवी मुकुन्द महतो की जायज पत्नी थी तथा उनके द्वारा निबंधित बक्सीसनामा प्राप्त होने का दावा बिल्कुल निराधार है, क्योंकि कलावती रामबृक्ष महतो की विवाहिता पत्नी थी तथा रामबृक्ष महतो से एक लड़का बांगुर महतो का जन्म हुआ है, जो अपीलार्थी के पिता है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि मुकुन्द

महतो की पत्नी उनके जीवन काल में ही मृत हो चुकी थी तथा उनके देखभाल करने वाला कोई नही था, जिसके कारण कलावती देवी एवं उनका लड़का बागुर महतो को देखभाल करने के लिए घर में रखें थे। कलावती देवी के सेवाटहल से खुश होकर मुकुन्द महतो ने बजरीये निबंधित बक्सीसनामा दिनांक 04.03.1962 को खाता नं0 28 एवं 14 रकबा– 4.18 एकड़ बांगुर महतो अपीलार्थी के पिता के नाम से लिख दिये। कलावती देवी द्वारा अपीलार्थी के नाम से लिखा गया दान पत्र बिल्कुल गलत एवं संदेहास्पद है, क्योकि कलावती देवी को दान पत्र लिखने का कोई वैध अधिकार नहीं था। अंचल अधिकारी, मनिका द्वारा जमीन पर प्रतिवादी का दखल कब्जा पाने के पश्चात् दिनांक 02.08.2016 को वाद की कार्यवाही समाप्त घोषित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा कोई भी अपील वाद दायर नहीं किया गया। पुनः अंचल अधिकारी, मनिका के पास अपीलार्थीगण द्वारा दिये गये आवेदन पर बिना अभिलेख खोले एवं बिना आम इस्तेहार के अपीलार्थीगण के नाम से मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश पारित कर दिया गया है। इसकी जानकारी प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई, जिसके विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने एसं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात् अंचल अधिकारी, मनिका के आदेश को निरस्त किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं दोनों पक्षों के लिखित एवं मौखिक तर्कों को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचता हूँ कि अपीलार्थीगण द्वारा सी0आर0पी0सी0 की धारा– 144 के अन्तर्गत विविध वाद संख्या– 174/2000 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण के साथ स्वेच्छा से हुए सुलहनामे के आलोक में अपना पक्का मकान बनाकर सपरिवार रहते आ रहें है, जिसे प्रतिवादीगण का दखल कब्जा की पुष्टी होती है। अंचल अधिकारी, मनिका द्वारा भी जांच प्रतिवेदन में प्रतिवादीगण का दखल कब्जा का उल्लेख है। अंचल अधिकारी, मनिका द्वारा विविध वाद संख्या– 01/2016–17 में दिनांक 02.08.2016 को कार्यवाही समाप्त किये जाने के पश्चात् पुनः बिना अभिलेख खोले हाल सर्वे खतियान के

आधार पर अपीलार्थीगण के नाम से जमाबंदी कायम कर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। हाल सर्वे खतियान बासुदेव महतो एवं मुकुन्द महतो के नाम से प्रकाशित हुआ है। फलतः अपीलार्थीगण के नाम से दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक कलावती देवी द्वारा विवादित भूमि का बक्सीसनामा करने का प्रश्न है। उक्त बक्सीसनामा में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि बक्सीसधारक ने बक्सीस में दी जाने वाली भूमि को लेना स्वीकार किये है। इस प्रकार बक्सीसनामा को पूर्णरूपेण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कलावती देवी मुकुन्द महतो की विवाहीता पत्नी नहीं थी। फलतः भूमि बक्सीस करने का वैध अधिकार नहीं था। उक्त विवेचनाओं के आधार पर अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा दिनांक 24.03.2021 के पारित आदेश को संपुष्ट किया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को दर्शित करा दें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

22/09

उपायुक्त,
लातेहार।

22/09

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.10.22 13:58:24 +05:30
Location: 192.168.174.97